न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 43/2022 बउनवानी केलाशी बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्री श्योजी पत्नि शोभाग निवासी रावंल, हाल निवासी रोशनपुरा तह0 उनियारा

GCMS No-2022/75

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18.5.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 4.3..2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. प्रार्थीया द्वारा दिनांक 28.1.2022 को जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 28.1.2022 की पालना मे ग्राम रावंल के ख0न0 1430 की गिरदावर एवं पटवारी की मौका रिपोर्ट की प्र. प्रतिउपलब्ध करवायी जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/भू.अ./2022/4052 दिनांक 13.5.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना ग्राम रावंल के ख0न0 1430 की मौका रिपोर्ट तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही है। संबंधित पटवारी द्वारा अवगत कराया कि उक्त ख0न0 की फर्द मौका रिपोर्ट उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के मौखिक निर्देशानुसार तैयार की जाकर उपजिला कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित की गयी थी। चूंकि सूचना से संबंधित रिकार्ड तहसील सवाईमाधोपुर के कार्यालय मे उपलब्ध नही है इसलिए वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 4.3.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना वाके ग्राम रावंल के ख0न0 1430 की फर्द मौका रिपोर्ट तहसील कार्यालय उपलब्ध नही है उक्त रिपोर्ट पटवारी द्वारा उपजिला कलेक्टर कार्यालय मे प्रस्तुत किया जाना बताया है। उपजिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त मौका रिपोर्ट जिला कार्यालय मे विचाराधीन पैट्रोल पम्प की पत्रावली संख्या प.एलसी/2020–21/102199/राजस्व/20–21/आवंटन/ के क्रम मे भिजवायी जा चुकी है। अतः उक्त मौका रिपोर्ट राजस्व अनुभाग से तलब की जाकर निर्णय प्रति के साथ अपीलान्ट को भिजवायी जावे। तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपील[illegible] की धारा 6(3) के तहत उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अन्तरित नही [illegible] है। इसलिए तहसीलदार सवाईमाधोपुर का उक्त कृत्य सूचना का [illegible] लापरवाही दर्शाता है। अतः तहसीलदार सवाईमाधोपुर [illegible] है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना [illegible] तय समय सीमा मे [illegible]कता से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। उक्त निर्देश [illegible]साथ अपील अपीलान्ट [illegible]तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested